न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 02/2018

नन्दलाल पुत्र जीणराम उम्र 68 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भीकमसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... प्रार्थी

बनाम

1. वासुदेव पुत्र जगुराम उम्र 87 वर्ष जाति ब्राहम्ण
2. किशनलाल पुत्र कालूराम उम्र 78 वर्ष जाति ब्राहम्ण
   निवासीगण ग्राम भीकमसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
3. तहसीलदार महोदय, फतेहपुर (भूमि धारक) प्रतिनिधी राज्य सरकार तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री अनिल बाटड़– प्रार्थी
श्री मनोज शर्मा – अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 15.06.2018

प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 148 रकबा 0.2800 हैक्टयर वाके ग्राम भीकमसरा प्रार्थी के कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि है जिसका एकमात्र स्वामी काबिज खातेदार प्रार्थी है। जिसका खाता राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम बना हुआ है।

प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 148 रकबा 0.2800 हैक्टयर भूमि में आवागमन हेतु एकमात्र 15 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 157 व खसरा नंबर 151 की सींव के मध्य से प्रारम्भ होकर खसरा नंबर 149 में से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 148 रकबा 0.2800 हैक्टयर में आता जाता है। जिसे संलग्न नक्शे में लाल रेखाओं व अंक ए बी सी डी से दर्शित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

... समय से ही प्रचलन में चला आ रहा है तथा ... से पहले प्रार्थी के पूर्वज तथा बाद में प्रार्थी एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य खेत ... नंबर 148 रकबा 0.2800 हैक्टयर में आवागमन हेतु व उक्त कृषि भूमि काश्त हेतु सदैव ... मौजूद 15 फुट चौड़ा रास्ते का प्रयोग करते रहते है तथा अपने पशुधन, उंटगाड़ा, ट्रेक्टर ट्रोली इसी रास्ते से लेकर आते जाते रहे है तथा उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत मे आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 148 रकबा 0.2800 हैक्टयर में आवागमन हेतु काम में लिये जाने वाले उपरोक्त वर्णित रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में नही होने से एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 खेत खसरा नंबर 149 रकबा 0.4600 हैक्टयर व खेत खसरा नंबर 151 रकबा 0.0700 हैक्टयर वाके ग्राम भीकमसरा के खातेदार होने से उपरोक्त ए बी सी डी मार्क से अंकित रास्ते को बन्द व अवरुद्ध करने की करीबन 20 रोज से धमकी दे रहे है। जिनका उनकों कोई हक अधिकार नहीं है यदि अप्रार्थीगण उक्त रास्ता अवरुद्ध बन्द अथवा तंग करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति अन्यथा संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु केवल मात्र यही एक रास्ता मौजूद है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा प्रार्थी के खेत के लिये उक्त वर्णित रास्ता ही सबसे सुविधाजनक एवं निकटतम रास्ता है अगर अप्रार्थीगण इसे बन्द या तंग करने में सफल हो गये तो प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 148 रकबा 0.2800 हैक्टयर वाके ग्राम भीकमसरा में पहुंचने का अन्य कोई विकल्प नहीं रहेगा और प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि की काश्त आदि नहीं कर पाएगा तथा प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी संभव नहीं होगी।

उक्त रास्ता प्रार्थी का पैत्रिक रुप से खेत खसरा नंबर 148 के लिये रहते रहने तथा इसी रास्ते से प्रार्थी एवं उसका परिवार पैत्रिक रुप से गमनागमन करते रहने से उक्त रास्ते बाबत प्रार्थी को सुखाधिकार हासिल हो चुका है फिर भी प्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 148 में गमनागमन हेतु खेत खसरा नंबर 151 व 149 में से आने जाने वाले रास्ते को जिसे संलग्न नक्शे में ए बी सी डी मार्क से दर्शित 15 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैर मु. रास्ता कायम किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करने को तत्पर है। उक्त खसरा नंबर से सटकर खसरा नंबर 157 गै.मु. आबादी में तथा खसरा नंबर 160 के खातेदारान द्वारा अपनी दक्षिणी सींव पर पुख्ता दीवार का निर्माण कर रखा है इसलिये प्रार्थी का रास्ता केवल मात्र खसरा नंबर 151 व 149 में से ही आवागमन का रहता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
...पुर (सीकर)

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 148 रकाब 0.?00 हैक्टयर वाके ग्राम भीकमसरा में आवागमन हेतु काम में लिये जाने वाले रास्ते को जो खसरा नंबर 157 व 151 के मध्य की सींव से प्रारम्भ होकर खेत खसरा नंबर 149 मे से हाता हुआ खेत खसरा नंबर 148 में आता जाता है तथा जिसे प्रार्थना पत्र में नक्शे में ए बी सी डी मार्क व लाल रंग से दर्शित किया गया है को निर्धारित कर राजस्व रिकॉर्ड में गै0 मु0 रास्ता के रुप में कायम करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा प्रार्थी के उक्त रास्ते से गमनागमन में किसी प्रकार की बाधा डालने उक्त रास्ते को तंग, अवरुद्ध करने करवाने से अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मनोज शर्मा एड. ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली आज कैम्प कोर्ट दांतरू पर पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार, फतेहपुर से रिपोर्ट मांगी गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से जरिये पत्रांक 05 दिनांक 15.06.18 के रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खेत खसरा नंबर 148 वाके ग्राम भीकमसरा में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 157, 149 में से चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते खसरा नम्बर 149 में अप्रार्थीगण के मकानात बने हुये है। मौके पर प्रार्थी के खेत में जाने का ख0 नं0 149 में से कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251ए की श्रेणी में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को कैम्प कोर्ट दांतरु में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)